

हरियाणा सरकार

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अगस्त, 1996

सं० सा० का० नि० 67/संवि०/अनु० 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध (ग्रुप ख) सेवा, में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1996, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;
 - (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
 - (ग) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
 - (घ) “संस्था” से अभिप्राय है,—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई भी संस्था ;
 - (ii) कोई अन्य संस्था जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो,
 - (ङ) “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय ; या
 - (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या दक्क विश्वविद्यालय ; या
 - (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
 - (च) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध (ग्रुप-ख) सेवा।

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
तथा उनका
स्वरूप ।

3. लेखा अधिकारी तथा सहायक जिला न्यायवादी के पदों के सिवाय,
में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने
विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद रथाई या अस्थाई रूप से बना
सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए
गए उम्मीदवारों की
राष्ट्रीयता, अधिवास
तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा
तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का वह व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनियु युगांडा, तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगाभिका अफ्रिका (जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में रथाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति प्रमाणित होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणित जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, के अध्यक्ष/निदेशक या समकक्ष पदनाम के अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, परन्तु उसके व्यक्तित्व जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पहले की जुलाई 22 वर्ष की आयु से कम हो या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताओं में आयुग या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तथा ऐसा करने के लिए कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति :—

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:—

- पशु चिकित्सा संवर्ग
- (क) पशु चिकित्सा की दशा में,—
- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ख) सांख्यिकीय अधिकारों की दशा में,—
- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ;
- (ii) 50 प्रतिशत तकनीकी सहायकों/सांख्यिकीय अन्वेषक/सांख्यिकीय मूल्यांकन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

नियुक्ति
प्राधिकारी।
योग्यताएं।

अयोग्यताएं।

भर्ती का ढंग।

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) लेखा अधिकारी की दशा में, —

किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) स्थापना अधिकारी की दशा में,—

(i) मुख्यालय अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ङ) अधीक्षक (मुख्यालय) की दशा में,—

(i) मुख्य सहायकों/निजी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(च) अधीक्षक (क्षेत्रीय) की दशा में, —

(i) मुख्य लिपिकों या सहायकों या लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(छ) चारा विकास अधिकारी की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत सहायक चारा विकास अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ज) सहायक चारा विकास अधिकारी की दशा में,—

(i) कृषि निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(झ) डेरी विस्तार अधिकारी की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ब) सहायक जिला न्यायवादी की दशा में,—

किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(3) जब कभी सेवा में कोई रिक्ति होती है अथवा होने को सम्भावना होती है तो सरकार ऐसी रिक्ति भरे जाने की रीति निर्धारित करेगी ।

(4) प्रत्येक पशु चिकित्सक कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करेगा जिसमें असफल रहने पर वह आगामी पदोन्नति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह उपबंध उस पशु चिकित्सक की दशा में लागू नहीं होगा जिनकी इन नियमों के प्रारम्भ होने पर, 5 वर्ष की सेवा की अवधि से कम है ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो 2 वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा ।

परन्तु,—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि को और गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति को निबन्धनों और शर्तों के अनुसार हो;

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उस की राय में सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसृत करें; या

(ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उस के बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई हुई अवधि भी, यदि कोई है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उन की ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान्त ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पूर्व नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, सेवा करने का दायी होगा। सेवा करने का दायित्व ।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है,—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा राज्य के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिस का पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या स्वायत्त, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उस की सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रति-नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

विभागीय परीक्षा

13. (1) स्थापना अधिकारी, अधीक्षक मुख्यालय, अधीक्षक क्षेत्रीय, लेखा अधिकारी तथा सहायक जिला न्यायवादी के सिवाए सेवा में नियुक्त किए गए प्रत्येक सदस्य को इन नियमों के परिशिष्ट (छ) के अनुसार दो वर्ष की अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

(2) (i) यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की विहित अवधि में परीक्षा पास कर लेता है तो वह 2 वेतन वृद्धियां जिनमें पहले अर्जित की गई वृद्धियां भी शामिल होंगी विभागीय परीक्षा पास करने के अतिरिक्त दिन की अगली तिथि, यदि कोई हो, से हकदार होगा । तथापि वह तीसरी वेतन वृद्धि का पात्र तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत होगा ।

(ii) यदि किसी व्यक्ति को परीक्षा पास करने की उस अवधि में बंदोबंदी दी जाती है, जिस में उक्त परीक्षा पास करनी अपेक्षित है तो उस के पश्चात् की अवधि के लिए जिसमें विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, उसकी आगामी वेतन वृद्धि/वृद्धियां बाद की तिथि से अन्तिम दिन से आगामी तिथि को दी जाएंगी जिसको परीक्षा पास की गई है,

(iii) यदि कोई व्यक्ति, विभागीय परीक्षा या उसका कोई भाग पास करने में असफल रहता है और उस के पश्चात् उसे विभागीय परीक्षा अथवा उसके भाग, जैसी स्थिति हो, को पास करने से सरकार द्वारा छूट दे दी जाती है तो उससे पश्चात्बर्ती अवधि के लिये जिसके भीतर विभागीय परीक्षा पास की जानी थी, वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियां) ऐसी छूट की तिथि से दी जाएंगी ।

(iv) आगामी वेतन वृद्धियां समान्यता उसी तिथि से अनुज्ञेय होंगी जिसका वे अन्यथा वेय हो गई हों ।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विद्यान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इस के पश्चात् बनाये या अपनाये जायें।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

15. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे लागू होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) अथवा (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

टीका लगवाना।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति विधि द्वारा तथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

राजनिष्ठा की शपथ।

18. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

ढील देने की शक्ति।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता है।

विशेष उपबन्ध।

20. सेवा में नियुक्त अधिकारी अपना वृत्ति व्यवसाय ऐसे उपबन्ध के अधीन रहते हुए कर सकते हैं कि जब भी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा होने की सम्भावना हो तो सरकार व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगा सकती है।

व्यवसाय।

आरक्षण ।

21. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्‍व सरकार द्वारा समझ-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, सूतपूब सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा रिखायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी दशा में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा
व्यावृत्ति ।

22. पंजाब पशु चिकित्सा श्रेणी-II सेवा नियम, 1930, जो इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व तुरन्त लागू थे, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं ;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा कार्रवाई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
पशु चिकित्सा संवर्ग		रुपये			
1	पशु चिकित्सा	202	442	644	2200-75-2300-ई० बी०-100-4000
पशु चिकित्सा इतर संवर्ग					
1	सांख्यिकीय अधिकारी	-	3	3	2000-60-2300-75-3000-100-3500
2	लेखा अधिकारी	-	1	1	2000-60-2300-75-3000-100-3500
3	स्थानना अधिकारी	-	1	1	2000-60-2300-75-3000-100-3500
4	अधीक्षक (मुख्यालय)	1	5	6	2000-60-2300-75-3000-100-3500
5	अधीक्षक (क्षेत्रीय)	1	-	1	2000-60-2300-75-3000-100-3500
6	चारा विकास अधिकारी	-	4	4	2000-60-2300-75-3000-100-3500
7	महायक चारा विकास अधिकारी	-	1	1	2000-60-2300-75-2900-100-3200
8	डेरी विस्तार अधिकारी	-	1	1	2000-60-2300-75-3000-100-3200
9	महायक जिला न्यायदात्री	-	1	1	2000-60-2300-75-3000-100-3200
कुल		204	459	663	

परिशिष्ट—ख

(देखिये नियम 7)

क्र० सं०	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव यदि कोई हो।	सीधी भती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4

1	पशु चिकित्सक	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय/संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन में स्नातक; (2) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान ; (3) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् 1984 के अधिनियम 52 के तहत वांछित हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के पास पशु चिकित्सक के रूप में पंजीकृत।	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन में स्नातक, (2) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान (3) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् 1984 के अधि- नियम 52 के तहत वांछित हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के पास पशु चिकित्सक के रूप में पंजीकृत।
---	--------------	--	---

अधिमान :—

पशु अन्तुवैशिकी एवं प्रजनन/पशु
मादा रोग/पशु शरीर क्रिया अथवा
किसी पशुपालन/पशु चिकित्सा विज्ञान
विज्ञान की किसी शाखा में पशु
चिकित्सा विज्ञान निष्णात।

पशु चिकित्सा भिन्न संवर्ग

1	सांख्यिकीय अधिकारी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से सांख्यिकीय या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या गणित या अर्थशास्त्र सांख्यिकीय से द्वितीय श्रेणी में उपाधि हो।	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से सांख्यिकीय गणित, कृषि सांख्यिकीय या वाणिज्य अर्थशास्त्र या सांख्यिकी के निर्वाचित विषय के साथ उपाधि।
---	--------------------	--	---

1

2

3

4

		(2) मूल योग्यता ग्रहण करने के बाद कृषि/पशुपालन/सांख्यिकीय संग्रहण/सर्कल का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव,	(2) तकनीकी सहायक/सांख्यिकीय अनुवेषक/सांख्यिकीय मूल्यांकन अधिकारी के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।
		(3) हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान ।	
2	लेखा अधिकारी	--	इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव वही होगा जोकि वित्त विभाग में लागू एवं अनुमोदित है ।
3	स्थापना अधिकारी	--	अधीक्षक (मुख्यालय) के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।
4	अधीक्षक (मुख्यालय)	--	कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें मुख्य सहायक/निजी सहायक के पद पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो ।
5	अधीक्षक (क्षेत्रीय)	--	कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें से मुख्य लिपिक या सहायक या लेखाकार के पद पर दो वर्ष का अनुभव हो ।
6	चारा विकास अधिकारी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्था से विज्ञान स्नातक (कृषि) (2) कृषि संक्रिया में जिम्मेवार हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें दो वर्ष का किसी बड़ी यन्त्र चलित फार्म पर जुताई का अनुभव ।	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय संस्था से विज्ञान स्नातक (कृषि) (2) सहायक चारा विकास अधिकारी , या कृषि निरीक्षक के पद पर अनुभव सहित कृषि प्रचालन में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें दो वर्ष किसी बड़ी यन्त्र चलित फार्म पर जुताई का अनुभव ।

1	2	3	4
		अधिमान .— फार्म मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण या संस्था विज्ञान की किसी शाखा में उपाधि ।	
7	सहायक चारा विकास अधिकारी	—	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय/संस्था से विज्ञान स्नातक (कृषि) । (2) कृषि निरीक्षक के पद पर प्रचालन में चार वर्ष का अनुभव जिसमें से दो वर्ष का किसी कबड़ी मान्यता प्राप्त अधिमानतः मैकेनाइज्ड यन्त्र चलित फार्म पर जुताई का अनुभव ।
8	डेरी विस्तार अधिकारी	(1) डेरी विज्ञान में स्नातक (डेरी पालन), या पशु चिकित्सा विज्ञान (पशुपालन) में स्नातक या पशु विज्ञान में विज्ञान स्नातक, और (2) पशुपालन विस्तार/पशु विज्ञान/ डेरी पालन में तीन वर्ष का अनुभव या (i) पशुपालन सहायक (दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स) या भारतीय डेरी विकास कोर्स (डेरी पालन); और (ii) पशुपालन/डेरी पालन विस्तार में पांच वर्ष का अनुभव ।	(1) डेरी विज्ञान (डेरी पालन) में स्नातक या पशु चिकित्सा विज्ञान (पशु- पालन) में स्नातक, या पशु विज्ञान में विज्ञान स्नातक, और (2) पशुपालन विस्तार/पशु विज्ञान/डेरी पालन में तीन वर्ष का अनुभव या (i) पशुपालन सहायक (दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स) या भारतीय डेरी विकास कोर्स (डेरी पालन); और (ii) पशुपालन, डेरी पालन विस्तार में पांच वर्ष का अनुभव । इस पद के लिए वही शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव होगा जो अभियोजन विभाग में लागू एवं अनुमोदित है ।
9	सहायक जिला न्यायवादी	—	

परिशिष्ट-ग

[द्वितीय नियम 15 (1)]

क्र.सं.	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
पशु चिकित्सा संवर्ग					
1	पशु चिकित्सक	सरकार	1. छोटी शास्तियां--	सरकार	
			पशु चिकित्सा इतर संवर्ग		
1	सांख्यिकीय अधिकारी	सरकार			
2	स्थापना अधिकारी	(i) वैयक्तिक फाइल			
3	अधीक्षक (मुख्यालय)	(आश्चर्य पंजी) पर प्रति			
4	अधीक्षक क्षेत्रीय	रखते हुए चेतावनी ;			
5	चारा विकास अधिकारी				
6	सहायक चारा विकास अधिकारी	(ii) परिनिन्दा ;			
7	डेरी बिम्तार अधिकारी	(iii) पदोन्नति रोकना ;			
		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; और			
		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			
		2. बड़ी शास्तियां--			
		(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;			

1

2

3

4

5

6

(vii) किसी त्रिनिदिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उस की ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरहता नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहता होगी ।

परिशिष्ट च

[देखिए नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश देने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
पशु चिकित्सा संवग				
1	पशु चिकित्सक	(i) पेशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/प्रतिरिक्त पेशन की राश में कमी करना या रोकना ;	सरकार	
1	सांख्यिकीय अधिकारी			
2	स्थापना अधिकारी			
3	अधीक्षक (मुख्यालय)			
4	अधीक्षक (क्षेत्रीय)	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से		
5	चारा विकास अधिकारी	अन्यथा नियुक्ति को समाप्त ।		
6	सहायक चारा विकास अधिकारी			
7	डैरी बिस्तार अधिकारी			

परिशिष्ट ३

(देविण नियम 13)

लेखा प्रश्न-पत्र

(i) पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-I भाग-I, अध्याय 1 से 5, 7, 8, नियम 8.1 से 8.91, 8.113 से 8.140, 9.12 और 15

(ii) पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-I भाग-II, परिशिष्ट 1.8-क, 12, 17, 20, 23 और 24

(iii) पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-II, अध्याय 1 से 7, 9 से 11, 13 और परिशिष्ट 2

(iv) पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-III (यात्रा भत्ता नियम)

(v) पंजाब वित्त नियम जिल्द-I, अध्याय 1, 2, 4 से 8, 10, 12, 14 से 17 और 19

(vi) पंजाब वित्त नियम जिल्द-I & परिशिष्ट 2 से 6, 10 से 12, 14 से 17 और 19

(vii) वित्त गुस्तिदा संख्या -I (खजान नियम) भाग-I, समस्त भाग-I] अध्याय 2, 3, नियम 4.1 से 4.59, 4.92 से 4.109, 4.113 से 4.114, 4.119 से 4.140, 4.168 से 4.181 अध्याय 4 तथा अध्याय 6 के परिशिष्ट "ख" तथा "ग"

(viii) पंजाब बजट निर्देशिका अध्याय 1 से 3, 7 और 10 से 15

(ix) राजकीय लेखा परीक्षा तथा लेखा प्रस्तावना अध्याय 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 26 से 28 की व्याख्या तथा परिभाषा।

विभागीय नियम प्रश्न-पत्र

विभागीय अधिनियम, नियम, परिपत्र, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली व विभागीय क्रिया-कलाप।

टिप्पणी :--विभागीय परीक्षा सम्बन्धी अनुज्ञात समय, अधिकतम अंक तथा अपेक्षित न्यूनतम अंक इत्यादि सम्बन्धी निवन्धन तथा शर्तें मुख्य सचिव, हरियाणा जो विभागीय परीक्षाओं का संचालन करवाता है, द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों एवं नियमों के अनुसार होंगे।

आर० एस० वर्मा,

सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Notification

The 8th August, 1996

No. G. S. R. 67/Const./Art. 309/96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Veterinary and Allied (Group B) Service, namely:—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Veterinary and Allied (Group B) Service Rules, 1996.

Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(d) "Institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(e) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by Government to be a recognised University for the purpose of these rules;

(f) "Service" means the Haryana Veterinary and Allied (Group B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and
Character of
posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules except the posts of Accounts Officer and Assistant District Attorney :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Dean or Director or equivalent designation of the University, College or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College or Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than 22 years or more than 35 years of age, on 1st July, preceding the last day of the submission of application to the Commission.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Government.

Appointing
authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment :

Qualifications.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

Disqualifications.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

Method of
recruitment.

VETERINARY CADRE

(a) in the case of Veterinary Surgeon,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(b) in the case of Statistical Officer,—

(i) 50% by promotion from amongst the Technical Assistants or Statistical Investigator or Statistical Evaluation Officer; and

(ii) 50% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official/officer already in service of any State Government or the Government of India.

- (c) in the case of Account Officer,—
by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (d) in the case of Establishment Officer,—
(i) by promotion from amongst the Superintendent Headquarter ; or
(ii) by transfer or deputation of an officer already in the Service of any State Government or the Government of India ;
- (e) in the case of Superintendent (Headquarters),—
(i) by promotion from amongst the Head Assistants or Personal Assistants; or
(ii) by transfer or deputation of an officer already in the Service of any State Government or the Government of India;
- (f) in the case of Superintendent (Field),—
(i) by promotion from amongst the Head Clerk or Assistant or Accountant; or
(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (g) in the case of Fodder Development Officer,—
(i) 50% by promotion from amongst the Assistant Fodder Development Officer; and
(ii) 50% by direct recruitment ; or
(iii) by transfer or deputation of an officer already in service of any State Government or the Government of India ;
- (h) in the case of Assistant Fodder Development Officer,—
(i) by promotion from amongst Agriculture Inspectors; or
(ii) by transfer or deputation of an officer already in the Service of any State Government or the Government of India ;
- (i) in the case of Dairy Extension Officer,—
(i) by direct recruitment ; or
(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India ;

(j) in the case of Assistant District Attorney,—

(i) 100% by transfer or deputation of an officer or official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) Appointments by promotion shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) When any vacancy occurs or is about to occur in the Service, the Government shall determine in what manner such vacancy shall be filled in.

(4) Every Veterinary Surgeon shall have to serve in the rural area of the State of Haryana for a period of atleast 5 years failing which he will not be eligible for further promotion:

Provided that this provision shall not be applicable in the case of Veterinary Surgeon whose period of service of 5 years falls short on the commencement of the rules.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Probation.

Provided that,—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of any appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may ;—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, —

- (a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) If his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit;
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the

same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any another State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any Other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) and (iii) except with his consent.

13. (1) Every person other than Establishment Officer, Superintendent Headquarter, Superintendent Field, Accounts Officer and Assistant District Attorney, appointed to serve shall have to pass the departmental examinations as per Appendix-E to these rules within a period of two years.

Departmental Examinations.

(2) (i) if a person passes the departmental examination within the prescribed period of two years from the date of his appointment, he shall be entitled to get two increments including that already earned by him, from the date, if any, following the last day on which departmental examination is completed. However, he shall be entitled to get the third increment after the completion of three years service.

(ii) in case a person is allowed extension in the period within which the said examination is required to be passed, his next increment(s), for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed shall be released only from the following the last day on which examination is passed.

(iii) if a person fails to pass the departmental examination or any part thereof and is subsequently exempted by the Government from passing the departmental examination or any part thereof as the case may be, his increment(s) for the period subsequent to that within which the departmental examination was to be passed, shall be released from the date he is given such exemption

(iv) Further increments will normally be admissible on the dates on which they would have become otherwise due.

- Pay, leave, pension and other matters.
14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.
- Discipline, Penalties and appeals.
15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :
Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under Article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C of these rules.
(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.
- Vaccination.
16. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.
- Oath of allegiance.
17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.
- Power of relaxation.
18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- Special provisions.
19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.
- Private practice.
20. Officers appointed to the Service will be allowed to undertake professional practice subject to the condition that the Government may forbid practice whenever it appears that it is likely to interfere in the efficient discharge of his official duties.
- Reservations.
21. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:
Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent, at any time.
- Repeal and Savings.
22. The Punjab Veterinary Service Class-II Rules, 1930 which are in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :
Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of Posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
VETERINARY CADRE					
					(Rs.)
1	Veterinary Surgeon	202	442	644	2,200—75—2,800—EB— 100—4,000
NON VETERINARY CADRE					
1	Statistical Officer	—	3	3	Rs. 2,000—60—2,300—75— 3,000—100—3,500
2	Accounts Officer	—	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75— 3,000—100—3,500
3	Establishment Officer	—	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75— 3,000—100—3,500
4	Superintendent, Head Qtrs.	1	5	6	Rs. 2,000—60—2,300—75— 3,000—100—3,500
5	Superintendent (Field)	1	—	1	Rs. 2,000—60—2,300—75— 3,000—100—3,500
6	Fodder Development Officer	—	4	4	Rs. 2,000—60—2,300—75— 3,000—100—3,500
7	Assistant Fodder Development Officer	—	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75— 3,000—100—3,200
8	Dairy Extension Officer	—	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75— 2,900—100—3,200
9	Assistant District	—	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75— 2,900—100—3,200
Total		204	459	663	

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than direct recruitment
1	2	3	4

VETERINARY CADRE

1	Veterinary Surgeon	(1) Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised University or Institution ; (2) Adequate Knowledge of Hindi ; (3) registered as Veterinary practitioner with Haryana Veterinary Council as required by Indian Veterinary Council Act, 1984;	(1) Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised University or Institution ; (2) Adequate knowledge of Hindi; (3) registered as Veterinary practitioner with Haryana Veterinary Council as required by Indian Veterinary Council Act, 1984.
---	--------------------	---	--

Preferential :—

- (1) Ph. D in Master of Veterinary Science in animal Genetics and breeding or animal physiology or in any branch of animal husbandry or Veterinary science.

NON-VETERINARY CADRE :

1	Statistical Officer	(1) Master degree in statistics or Math or economics or at least 2nd class degree in Statistics or Math or economics ; (2) Atleast three years experience of collection and compilation of Agriculture and Animal Husbandry statistics after acquiring the minimum basic qualifications; (3) Adequate knowledge of Hindi.	(1) Degree from a recognised university with economics or Math or Agriculture Economics or Commerce or Statistics as one of the elective subject. (2) Five years experience as Technical Assistant or Statistical Investigator or Statistical Evaluation Officer.
---	---------------------	---	--

1	2	3	4
2	Accounts Officer	..	The Academic qualification and experience, if any, for this post will be the same as are applicable and approved in the Finance Department;
3	Establishment Officer	..	Five years experience as Superintendent Headquarter;
4	Superintendent Headquarter	..	Having atleast 10 years experience out of which two years experience as Head Assistant or Personal Assistant ;
5	Superintendent Field	..	Having atleast ten years experience out of which two years experience as Head Clerk or Assistant or Accountant
6	Fodder Development Officer	(1) Bachelor of Science in Agriculture from any recognised institute , or university ; (2) Five years experience in responsible capacity of Agricultural operation, with atleast two years experience on some big farm preferably under machanised cultivation	(1) Bachelor of Science in Agriculture from any recognised university or institute ; (2) Five years experience as Assistant Fodder Development Officer including the experience as Agriculture Inspector engaged in Agricultural operations with atleast two years experience in big recognised Farm preferably under machanised cultivation
Preferential,—			
Post graduate training in Farm management or in any branch of agronomy			
7	Assistant Fodder Development Officer	..	(1) Bachelor of Science in Agriculture from any recognised university or institute ;

1

2

3

4

			(2) Four years experience as Agriculture Inspector engaged in Agricultural operations with atleast two years experience in big recognised farm preferably under machanised cultivation.
8 Dairy Extension Officer	(1) Bachelor of Science in Dairying (Dairying Husbandry) ; or Bachelor of Veterinary Science (Animal Husbandry) or Bachelor of Science in Animal Science ; and	(1) Bachelor of Science in Dairying (Dairy Husbandry) ; or Bachelor of Veterinary Science (Animal Husbandry) or Bachelor of Science in Animal Science ; and	
	(2) Three years experience in extension of Animal Husbandry or Animal Schience or Dairy Husbandry ;	(2) Three years experience in extension of Animal Husbandry or Animal Science or Dairy Husbandry	
	OR	OR	
	(i) Animal Husbandry Assistant (two years diploma course) or Indian Dairy Development (Dairy Husbandry) course ; and	(i) Animal Husbandry Assistant (Two years diploma course) or Indian Dairy Development (Dairy Husbandry Course) ; and	
	(ii) Five years experience in extension of Animal Husbandry or Dairy Husbandry.	(ii) Five years experience in extension of Animal Husbandry or Dairy Husbandry	
9 Assistant District Attorney			The Academic qualifications and experience for the post will be the same as applicable and approved in the Prosecution Department.

APPENDIX C

[See rule 15(1)]

Sr. No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
VETERINARY CADRE			Minor Penalties:		
1	Veterinary Surgeon	Government	(i) Warning with a copy in the personal file (character roll) ;	Government	—
NON VETERINARY CADRE					
1	Statistical Officer		(ii) censure;		
2	Establishment Officer		(iii) withholding of promotion ;		
3	Superintendent Head quarter		(iv) recovery from pay of the whole or Part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individual whether incorporated or not, which wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and		
4	Superintendent Field				
5	Fodder Development Officer				
6	Assistant Fodder Development Officer				
7	Dairy Extension Officer				
			(v) withholding of increments of pay, without cumulative effect ;		
Major Penalties :					
			(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;		

1**2****3****4****5****6**

(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, or service from from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(ix) compulsory retirement ;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D

[See rule 15 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5

VETERINARY CADRE :

1	Veterinary Surgeon	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government	..
---	--------------------	--	------------	----

NON-VETERINARY CADRE

1	Statistical Officer	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
2	Establishment Officer			
3	Superintendent Head quarter			
4	Superintendent Field			
5	Fodder Development Officer			
6	Assistant Fodder Development Officer			
7	Dairy Extension Officer			

APPENDIX E

Syllabus for Departmental Examinations

(See rule 13)

Accounts Paper :

- (i) Punjab Civil Services Rules Volume I, Part I, I to V, VII, VIII rules 8.1 to 8.91, 8.113 to 8.140, IX, XII and XV.
- (ii) Punjab Civil Services Rules Volume I, Part II, Appendix 1.8A, 12, 17, 20, 23 and 24.
- (iii) Punjab Civil Services Rules Volume II, Chapter I to VII, IX, XIII and Appendix 2.
- (iv) Punjab Civil Services Rules, Volume III (T. A. Rules)
- (v) Punjab Financial Rules Volume I, Chapter 1, 2, 4 to 8, 10, 12, 14 to 17 and 19.
- (vi) Punjab Financial Rules Volume II, Appendix 2 to 6, 10 to 12, 14 to 17 and 19.
- (vii) Financial Hand Book No. 1 (Treasuries Rules) Part-I, whole Part-II (Chapter II, III Rules 4.1 to 4.59, 4.92 to 4.109, 4.133 to 4.114, 4.119 to 4.140, 4.169 to 4.181 and Chapter IV and Chapter VI Appendix B and C.
- (viii) Punjab Budget Manual Chapter 1 to 3 and 7 and 10 to 15.
- (ix) Introduction to Government Audit and Accounts Chapter 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 26 to 28.

Departmental Rules Papers :

Departmental Acts, Rules, Circulars, Government servants conducts Rules and departmental activities.

Note.—The terms and conditions in regard to the departmental examinations in respect of the time allowed, maximum marks and qualifying minimum marks, shall be in accordance with the rules and instructions issued from time to time by the Chief Secretary, Haryana who conducts the departmental examinations.

L. M. GOYAL,

Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandry Department.

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 8th August, 1996

In the Haryana Government, Revenue Department, Notification No. G. S. R. /Const./Art. 309/88, dated the 12th August, 1988, published in the Haryana Government Gazette Legislative Supplement Part-III, dated the 23rd August, 1988 in its authorised English Translation, in Appendix C, under Columns I and II.

1

2

for "1

District Revenue Officer and" ;

1

2

read "1

..

2

Tehsildar."

J. D. GUPTA,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.